

From No. III
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिनारा
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आसमोहम्मद बनाम सुमेर वगै०

तारीख हुक्म

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज
प्रार्थना पत्र -212 संख्या 241- वर्ष 2020

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए

02.11.2020

आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 01.12.2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्द्ररोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 238/2.25, 267/0.67, 159/0.42, 74/0.51, 172/0.22, 173/0.09, 174/0.30, 105/0.11, 106/0.16, 158/0.32, 215/0.52, 223/0.25, 213/1.13है० वाके ग्राम हुसैपुर 211/1.68, 212/0.03, 591/1.71, 566/0.14, 220/0.44, 409/0.47, 414/0.97, 473/1.90, 79/0.53, 252/0.37है० वाके ग्राम हसनपुर माफी पर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

कयो न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावें ? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जयें अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पो० रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(अलवर)

25/8/21

पत्रावली आज जरीये अधिवक्ता के पत्रावली पत्र पर पेश हुई। वादी का वाद नौर प्रेस में खारिज किया गया अतः यह पत्रावली भी खारिज किया जाता है। पत्रावली पत्र सलग्न मूल वाद में।

M. J. J. J.
G. J. J. J.